RECEIPT
Acad. Cell 1209/A
Dt. 20/03/2021

INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
Receipt 2433
Dt. 19/03/2021
PATNA-800014

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6 / एन0–08–12 / 2019–......... / पटना–15, दिनांक–..............................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–426(6), दिनांक–19.03.2019 द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में डॉ0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

2 – विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, शेखपुरा, पटना को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4 (iii) के आलोक में एम0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में (1) Medical Surgical Nursing-5 (Five) (2) Paediatric Nursing-5 (Five) (3) OBG (Midwifary Nursing)-3 (Three) (4) Psyshiatric & Medical Health-2 (Two) कुल–15 (पन्द्रह) सीटो पर नामांकन लेने हेतु निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :–

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों / निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। निदेशक, आई0जी0आई0एम0एस0, पटना के द्वारा समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों एवं दिशा निदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) संस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(छ) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, शेखपुरा, पटना तथा (iii) सिविल सर्जन, पटना को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

3 – आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(डॉ0 कौशल कुमार)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

Dean
19/3/2021

Registrar
20/03/21

principal Nursing College
SBMEL to upload on website
20/3/2021